

कार्यालय ग्राम पंचायत बिरिया पंच. शिव

क्रमांक- पशु शिविर / 2022 / 14

दिनांक 30/3/22

पेषित-

श्रीमान तहसीलदार महोदय

शिव

विषय-ग्राम पंचायत बिरिया में राजस्व ग्राम बौरासर हेतु पशु शिविर स्वीकृत करवाने बाबत।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि मैं (सचिव) रिडमलराम पुत्र जेताराम
जाति कुमावत निवासी बौरासर तहसील शिव जिला द्वारा ग्राम पंचायत
बिरिया के राजस्व ग्राम बौरासर हेतु पशु शिविर स्वीकृत करवाना चाहता
हूँ तथा यह कि-

1 संवत् 2078 में तहसील शिव के ग्राम पंचायत बिरिया में भयंकर अकाल की स्थिति है।

2 वर्तमान समय में ग्राम पंचायत बिरिया के राजस्व ग्राम बौरासर में किसी भी प्रकार का पुश शिविर स्वीकृत नहीं है।

3 राजस्व ग्राम बौरासर में वर्तमान में संवत् 2078 की अभाव अवधि के दौरान लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा छोड़ गये 1.85 बड़े व 1.5 छोटे कुल 2.35 पशु संधारित है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम पंचायत बिरिया के राजस्व ग्राम बौरासर में पशु शिविर स्वीकृत करवाने की कृपा करवाये।

रिडमलराम
(सचिव)

ग्राम पंचायत बिरिया

सरपंच / अध्यक्ष

ग्राम प्र. बिरिया

रिडमलराम
(रिडमलराम)
ग्रा. वि. अधिकारी / अधिकारी
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंच. बरिवाड़ा प.स. शिव
ग्राम प्र. बिरिया

गिरस्थान

नाम मुद्रांक विक्रेता श्री देवरमिह माटी धारवी कला अनुना पत्र संख्या 01/2019/शिव/बाडमेर
रजिस्टर क्रम सं 2792 दिनांक 29/08/2022 मुद्रांक वेल्सू व क्रम संख्या- 50/
मुद्रांक क्रेता का नाम ग्राम पंचायत खरियाडा पं.सं. शिव
पता खरियाडा खरियाडा पं.सं. शिव
प्रयोजन - देवी विह
(हमने क्रय की दशा में हमने का नाम पता देवी विह)
क्रेता/हमने के हमनाधार - देवी विह मुद्रांक विक्रेता के हमनाधार - (51)
विक्रय स्थान :- तहमील परिमर, शिव (बाडमेर) Mob.7023519652

नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प



राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प रशि पर प्रयोजित अधिभार	
आधारभूत प्रवर्धनना मुक्तिधारे हेतु (धारा 3-क) 10 % रूपये - 05/-	
गाय और उमकी नम्ब के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख) 20 % रूपये - 10/-	
कुल योग - 15/-	

शपथ पत्र

मै अनुसूया पुत्र/पिता राजवान उम्र 22 निवासी खरियाडा
तहसील शिव जिला बाडमेर राज. का निवासी हूँ। मै शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि :-

- मेरी संस्था का नाम ग्राम पंचायत खरियाडा एवं संस्था का पंजीयन संस्था यह है।
- मेरे पशु शिविर के संचालन का स्थान खोरासर तहसील शिव जिला बाडमेर नाम से है।
- मुझे ज्ञात है कि जिला कलक्टर /राज्य स्तर पशुशिवर का आकस्मिक निरिक्षण /विडियो ग्राफी करवाई जा सकेगी।
- मै भलिभाति परिचित हूँ कि आकस्मिक निरिक्षण/विडियो ग्राफी के दोरान बताई गई पशु संख्या मे यदि कमी अनियमितता पाई जाती है तो मेरे संस्था के विरुद्ध आवश्यक कानुनी कार्यवाही की जा सकेगी।
- मै पशु शिविर /गोशाला कि स्वीकृति मे उल्लेखित सभी शर्तो की पुर्णत पालना करूंगा।
- जिले द्वारा समय समय पर दी गई सभी शर्तो का मै पूर्णतः पालना करूंगा।

अनुसूया
संरपच/अध्यक्ष (अनुसूया)
ग्राम पं.सं. खरियाडा पं.सं. शिव

राजमलराम
ग्रा.वि.अधिकारी/सचिव
ग्रा.प.खरियाडा पं.सं. शिव



मै अनुसूया पुत्र राजवान उम्र 22 निवासी खरियाडा तहसील शिव जिला बाडमेर राज. का निवासी हूँ। मै शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि उपर्युक्त संख्या 1 से 6 तक दिया गया विवरण सत्य है।

अनुसूया
संरपच/अध्यक्ष (अनुसूया)
ग्राम पं.सं. खरियाडा पं.सं. शिव

ATTESTED
B. ANJUM KHAN KUMARI
NOTARY PUBLIC
GOVT. OF INDIA, BARMER
ग्रा.वि.अधिकारी/सचिव
ग्राम पं.सं. खरियाडा पं.सं. शिव